"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त, 2002—भाद्र 1, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2002

क्रमांक एफ-2-7/2002/1-8.—श्री तपेश कुमार झा, भा.व.से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग एवं खनिज (सूचना प्रौद्योगिकी) विभाग को पदेन उप-सचिव, उद्योग एवं खनिज (बायो टेक्नॉलाजी) विभाग भी घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

क्रमांक 1068/2002/1-8/स्था.—श्री आर. एस. ठाकुर, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 23-5-2002 से 1-6-2002 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही सार्वजनिक अवकाश दिनांक 2-6-2002 को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश अवधि में श्री ठाकुर को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. अवकाश से लौटने पर श्री ठाकुर को पुन: आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग में पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ठाकुर यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2002

क्रमांक 1074/2002/1-8/स्था.—यत: सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक बी-1/01/2002/4/एक, दिनांक 15-5-2002 द्वारा सुश्री ओमेगा युनाईस टोप्पो, अपर कलेक्टर, (बलोदाबाजार) रायपुर को स्थानान्तरित करते हुए उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा (उच्च शिक्षा) विभाग में पदस्थ किया गया है. सुश्री ओमेगा युनाईस टोप्पो अपर कलेक्टर, रायपुर के पद से दिनांक 17-5-2002 को कार्यमुक्त किया गया है.

2. और यत: सुश्री ओमेगा युनाईस टोप्पो, को म. प्र. सिविल सेवा (पदग्रहण काल) नियम 1982 के अंतर्गत देय पदग्रहण काल की अवधि का उपभोग करने के बाद दिनांक 28-5-2002 को अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना था, परन्तु वे कार्य पर उपस्थित न होते हुए दिनांक 28-5-2002 से 1-7-2002 तक लघुकृत अवकाश पर रही.

3. अतएव म. प्र. सिविल सेवा (पदग्रहण काल) नियम, 1982 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 28-5-2002 से 1-7-2002 तक पदग्रहण काल में वृद्धि स्वीकृत की जाती है. उक्त अवधि के लिये दिनांक 28-5-2002 से 1-7-2002 तक 34 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

4. अवकाश से लौटने पर सुश्री ओमेगा युनाईस टोप्पो को उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा (उच्च शिक्षा) विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

5. अवकाश अवधि में इन्हें वही वेतन एवं भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी, जो कि उन्हें पदग्रहण काल में देय होगा.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2002

क्रमांक एफ 2-6/2002/1-8.—श्री जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अवर सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2002

क्रमांक 1162/2002/1-8/स्था.—श्री एस. व्ही. दाण्डेकर, अवर सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को दिनांक 29-7-2002 से 9-8-2002 तक 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10 एवं 11-8-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दाण्डेकर को पुन: मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री दाण्डेकर को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री दाण्डेकर यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, विशेष सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2002

क्रमांक 2920/33/2001/सत्रह.—विभागीय अधिसूचना क्रमांक 1187-88/आर/33/2001/स्वा., दिनांक 1-3-2001 की कंडिका-2 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :—

"2" राज्य शासन फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 30 (2) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत फार्मासिस्टों की प्रथम पंजी तैयार करने तथा मध्यप्रदेश फार्मेसी कौंसिल द्वारा पंजीकृत रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों के छत्तीसगढ़ में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2001 निर्धारित करता है. अविभाजित मध्यप्रदेश फार्मेसी कौंसिल में पंजीकृत फार्मासिस्ट जो नवीन छत्तीसगढ़ राज्य में व्यवसाय करते हैं, वे अपने मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र के साथ प्रथम पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार को निर्धारित प्रारूप में 31 मार्च, 2001 तक आवेदन प्रस्तुत करें. आवेदन-पत्र के साथ रु. 300.00 शुल्क (जो वापसी योग्य नहीं है) भी जमा करना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2002

क्रमांक 4893/डी-1477/21-ब/छ. ग./02.—स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3574/डी-968/21-ब/छ. ग./02 दिनांक 15-5-2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक 3574/डी-968/21-ब/छ. ग./2002 दिनांक 15-5-2002 के अनुसूची के कालम (2) में उल्लिखित अधिकारियों के स्थान पर उक्त अनुसूची के कालम (3) में उल्लिखित अधिकारी को कॉलम (4) में उल्लिखित जिले में पदस्थ किया जाता है, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	विद्यमान पीठासीन अधिकारी का नाम (2)	पदस्थ न्यायिक अधिकारी का नाम (3)	जिले का नाम (4)
1.	श्री जी. सी. बाजपेयी	श्री रघुवीर सिंह	सरगुजा (अंबिकापुर)

Raipur, the 23rd July 2002

No. 4893/D-1477/21-B/Chh./02.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotics, Drug and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985) and with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, the State Government hereby makes the following amendment in this department Notification No. 3574/D-968/21-B/Chh./2002 dated 15-5-2002.

AMENDMENT

In the Notification No. 3574/D-968/21-B/Chh./02 dated 15-5-2002 for the officer mentioned in column (2) of the Schedule below the officer mentioned in column (3) shall be posted at the place mentioned in column (4) of the said Schedule, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri G. C. Bajpai	Shri Raghuveer Singh	Sarguja (Ambikapur)

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2002

क्रमांक 5155/डी-1301/21-ब (स्था.) छ. ग.—इस विभाग का आदेश दिनांक 16-4-2002 के द्वारा श्री अशोक कुमार तिवारी, डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर को महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में अवर सचिव के पद पर अस्थाई रूप से पदस्थ किया गया था, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्रमांक 5155/डी-1301/21-ब (स्था.) छ. ग.—राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक 1/3/02/4/एक, दिनांक 22-5-2002 के अनुसरण में श्री सुशीलचन्द्र श्रीवास्तव (बी-94, राप्रसे, क. श्रे.) डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर को महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में अवर सचिव के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2002

फा. क्र. 4800/679/21-ब (छ. ग.).—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कर्मनिधि तिवारी अधिवक्ता, राजनांदगांव को एक वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राजनांदगांव सत्र खण्ड के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2002

फा. क्र. 4953/1156/21-ब (छ. ग.).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये श्री एन. के. सरवन, अधिवक्ता, जगलदपुर, बस्तर को एक वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जगदलपुर सत्र खण्ड के लिये प्रथम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2002

फा. क्र. 4955/1156/21-ब (छ. ग.).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन श्री नंद किशोर देवांगन, अधिवक्ता, को द्वितीय अतिरिक्त लोक अभियोजक, जगदलपुर को दिनांक 10-7-2002 से पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिये जगदलपुर सत्र खण्ड के लिये द्वितीय अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2002

फा. क्र. 5136/848/21-ब (छ. ग.) 2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सत्तार अली खां, अधिवक्ता, सरगुजा (अंबिकापुर) को फास्ट ट्रेक कोर्ट सूरजपुर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के लिये शासन की ओर से पैरवी करने हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक जो अवधि पहले आवे, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2002

फा. क्र. 5138/848/21-ब (छ. ग.) 2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री ए. जी. कुरैशी, अधिवक्ता, सरगुजा (अंबिकापुर) को फास्ट ट्रेक कोर्ट अंबिकापुर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के लिये शासन की ओर से पैरवी करने हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक जो अवधि पहले आवे, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2002

फा. क्र. 5138/848/21-ब (छ. ग.) 2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री राजीव सिन्हा, अधिवक्ता, सूरगुजा (अंबिकापुर) को फास्ट ट्रेक कोर्ट सूरजपुर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के लिये शासन की ओर से पैरवी करने हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक जो अवधि पहले आवे, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2002

फा. क्र. 5191/1193/21-ब (छ. ग.) 2002.—नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार, जनसंख्या एवं कार्य को देखते हुये, प्रत्येक जिले, एवं तहसीलों में नोटरियों की संख्या पुनर्निर्धारित करती हैं.

इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रत्येक जिलों एवं तहसीलों में नोटरियों के पदों की संख्या, अनुसूची "अ" के अनुसार होगी.

अनुसूची-"अ"

क्र.	जिले एवं तहसील के नाम	नोटरी के पूर्व में स्वीकृत पद	नोटरी के वर्तमान स्वीकृत पद	नोटरी के कुल पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	26	-	26
	आरंग	-	1	1
	तिल्दा	-	1	1
	पलारी	-	1	1
	कसडोल	-	1	1
	सिमगा	-	1	1.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	देवभोग	–	1	1
	बिन्द्रानवागढ़	–	1	1
	राजिम	1	1	2
	अभनपुर	2	1	3
	गरियाबंद	3	–	3
	बिलाईगढ़	3	–	3
	बालोदा बजार	3	–	3
	भाटापारा	3	–	3
		41	9	50
2.	धमतरी	8	1	9
	कुरूद	–	1	1
	नगरी	1	1	2
		9	3	12
3.	महासमुन्द	8	1	9
	सरायपाली	3	–	3
	बसना	2	–	2
		13	1	14
4.	दुर्ग (भिलाई)	18	3	21
	पाटन	3	–	3
	गुण्डरदेही	–	1	1
	धमधा	–	1	1
	बालोद	5	1	6
	गुरूर	–	1	1
	डोंडीलोहारा	3	–	3
	नवागढ़	3	–	3
	बेमेतरा	3	1	4
	बेरला	3	–	3
	साजा	3	1	4
		41	9	50
5.	राजनांदगांव	5	2	7
	डोंगरगांव	1	1	2
	खैरागढ़	7	–	7
	छुईखदान	3	–	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	डोंगरगढ़	5	–	5
	मोहला	3	–	3
	चौकी	–	1	1
	मानपुर	–	1	1
		24	5	29
6.	कवर्धा	3	1	4
	पंडरिया	–	–	
		3	1	4
7.	रायगढ़	6	3	9
	खरसिया	5	–	5
	घरघोड़ा	3	–	3
	लैलूंगा	–	1	1
	सारंगढ़	3	–	3
	धर्मजयगढ़	3	–	3
		20	4	24
8.	जशपुरनगर	5	1	6
	कुनकुरी	4	–	4
	बगीचा	3	–	3
	पत्थलगांव	3	–	3
		15	1	16
9.	सरगुजा-अंबिकापुर	5	1	6
	सीतापुर	2	–	2
	राजपुर	–	1	1
	सूरजपुर	3	–	3
	प्रतापपुर	1	1	2
	लुण्ड्रा	–	1	1
	पाल	2	–	2
	वाड्रफनगर	–	1	1
	सामरी	1	1	2
		14	6	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	कोरिया-मनेन्द्रगढ़	6	1	7
	बैकुण्ठपुर	2	2	2
	भरतपुर	–	1	1
	सोनहट	–	1	1
		8	3	11
11..	बस्तर-जगदलपुर	15	1	16
	कोण्डागांव	3	–	3
	केशकाल	1	1	2
	नारायणपुर	3	–	3
		22	2	24
12.	दन्तेवाड़ा-दन्तेवाड़ा	3	1	4
	भोपालपटनम	3	–	3
	बीजापुर	3	–	3
	कोन्टा	6	–	6
		15	1	16
13.	कांकेर	3	3	6
	चारामा	2	–	2
	नरहरपुर	–	1	1
	भानुप्रतापपुर	3	–	3
	अन्तागढ़	3	–	3
	पखान्जुर	1	1	2
		12	5	17
14.	बिलासपुर	15	–	15
	मस्तुरी	–	–	–
	पेण्ड्रारोड	8	–	8
	कोटा	3	–	3
	तखतपुर	4	–	4
	मुंगेली	8	–	8
	लोरमी	3	–	3
	रतनपुर	1	–	1
	पंडरिया	4	–	4
	बिल्हा	1	–	1
	करगीरोड़	1	–	1
	मरवाही	1	–	1
	पथरिया	1	–	1
		50	–	50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	जांजगीर-चाम्पा	5	1	6
	पामगढ़	3	-	3
	नवागढ़	–	1	1
	चाम्पा	5	–	5
	सक्ती	5	-	5
	मालखरोदा	1	1	2
	जैजेपुर	1	1	2
	डभरा	4	–	4
		24	4	28
16.	कोरबा	8	1	9
	कटघोरा	7	–	7
	पाली	1	1	2
		16	2	18

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2002

फा. क्र. 5248/1858/21-ब (छ. ग.)/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गोविन्दराम अग्रवाल, अधिवक्ता सक्ती को एक वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से बिलासपुर सत्र खण्ड के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता हूं.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप सचिव.

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2002

क्रमांक 1454/36/आपर्या/02.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रक) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, संभागीय चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, बिलासपुर के अध्यक्ष व फेडरेशन ऑफ कामर्स एवं इंडस्ट्रीज, रायपुर के संयोजक, श्री राम अवतार अग्रवाल, बिलासपुर, को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में सदस्य मनोनीत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, सचिव

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2002

क्रमांक 610/517/ग्रामो./2002.—राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश सिल्क फेडरेशन की गतिविधियों को छत्तीसगढ़ में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से संचालित किया जाये. एतद्द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 604/2000/पुनर्गठन दिनांक 31-10-2001 द्वारा पंजीकृत छत्तीसगढ़ सेरीकल्चर डेव्हलेपमेंट एण्ड ट्रेडिंग को-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, रायपुर को छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग में संविलयित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, संयुक्त सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2002

क्रमांक एफ 13-15/खाद्य/2002/29.—राज्य शासन एतद्द्वारा कृषि उपज मंडी सीतापुर जिला सरगुजा (छ. ग.) में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान की शिकायत की जांच हेतु श्री दुर्गेश मिश्रा (भा. प्र. से.), संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आयुक्त, बिलासपुर को गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है. शेष सदस्य यथावत रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. राव, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जून 2002

क्रमांक एफ-10-1/2002/16-"ए".—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रमायुक्त संगठन के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से चांपा-जांजगीर जिले में श्रम पदाधिकारी कार्यालय की स्थापना की जाती है. इसके क्षेत्राधिकार में राजस्व जिला चांपा-जांजगीर सम्मिलित होगा.

राज्य शासन द्वारा श्रम पदाधिकारी कार्यालय चांपा-जांजगीर के स्थापना से सहायक श्रमायुक्त कार्यालय कोरबा के क्षेत्राधिकार में राजस्व जिला चांपा-जांजगीर का क्षेत्र पृथक् किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/334.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	खमारडीह प. ह. नं. 11	3.000	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	मुरलीडीह माइनर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/335.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	खजुरानी प. ह. नं. 11	2.400	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	खजुरानी माइनर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/336.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	आमगांव प. ह. नं. 8	2.400	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	आमगांव सब माइनर क्रमांक 2 हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/337.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	नंदेली	0.990	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	गुचकुलिया माइनर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/338.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	झकहाडीह प. ह. नं. 10	2.058	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	गुचकुलिया माइनर नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/339.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	नन्देली प. ह. नं. 10	0.900	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	गुचकुलिया माइनर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/340.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	केकरा भाठ प. ह. नं. 5	3.008	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	मुरलीडीह उपशाखा नहर में जाटा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/341.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	भोथीडीह प. ह. नं. 5	1.887	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	मुरलीडीह उपशाखा नहर के भोथीडीह माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/342.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	तुषार प. ह. नं. 22	12.760	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	"टर्नकी" बरदुली वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/343.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	देवरघटा प. ह. नं. 33	3.720	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	"टर्नकी" बरदुली वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/344.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	ओड़ेकेरा प. ह. नं. 18	10.132	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	"टर्नकी" बरदुली वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/345.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	बरदुली प. ह. नं. 37	7.112	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	"टर्नकी" के तहत बरदुली वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/346.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	जैजेपुर प. ह. नं. 23	3.840	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	"टर्नकी" बरदुली वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/347.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	मसनिया प. ह. नं. 6	2.756	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	खरसिया शाखा नहर में रतनपाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/348.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	तुर्री प. ह. नं. 13	3.220	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	पुटेकेला उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/349.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	हसौद प. ह. नं. 12	4.639	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	अचानकपुर माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/350.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	बसीन प. ह. नं. 3	1.941	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	असौदा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/351.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	नंदौर कला प. ह. नं. 12	3.424	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	पासीद माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/352.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	बासीन प. ह. नं. 3	3.251	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	पासीद माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/353.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	सराईपाली प. ह. नं. 12	2.262	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	पासीद सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/354.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा । की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	पासीद प. ह. नं. 13	4.141	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	पासीद सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/355.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	पोरथा प. ह. नं. 10	4.455	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	भालूडेरा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/356.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	किरारी प. ह. नं. 13	3.006	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	गुरेराडीह माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/357.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	सेन्दरी प. ह. नं. 3	3.826	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	पुटेकेला उप-वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/358.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	किरारी प. ह. नं. 13	0.586	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	पुटेकेला उप-वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/359.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	कुरदा प. ह. नं. 3	1.558	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	पुटेकेला उप-वितरण निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/360.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	पतेरापाली कला प. ह. नं. 2	0.424	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	घोघरा वितरक का खैरा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/361.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	घोघरा प. ह. नं. 2	1.575	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	घोघरा वितरक का घोघरा सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/362.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	घोघरा प. ह. नं. 2	1.306	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	घोघरा उप-वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/363.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	घोघरा प. ह. नं. 2	1.693	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	घोघरा वितरक नहर में घोघरा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/364.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	पुटीकेला प. ह. नं. 3	2.069	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	पुटेंकेला उप-वितरक निर्माण निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/365.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	आमगांव प. ह. नं. 8	3.078	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	आमगांव सब माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/366.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	सलनी प. ह. नं. 4	1.364	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	सलनी सब माइनर क्र. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/367.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	भोथीडीह प. ह. नं. 5	0.700	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	भोथीडीह माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/368.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	मलनी प. ह. नं. 4	0.624	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	मलनी सब माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/369.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	कुटराबोड़ प. ह. नं. 19	4.183	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	''टर्नकी'' बरदुली वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/370.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	ठठारी प. ह. नं. 1	1.352	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	अकलसरा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/371.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	भोथिया प. ह. नं. 5	1.441	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	भुतिया माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/372.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	भोथिया प. ह. नं. 5	0.583	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	मलनी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/373.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	टूठी प. ह. नं. 18	1.801	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	टूठी सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/374.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजुपर	ठठारी प. ह. नं. 1	1.837	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	सोनसरी सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसंदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/375.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	दातौद प. ह. नं. 7	0.881	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	खैरागढ़ सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/376.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	मोहगांव प. ह. नं. 2	0.513	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	घोघरा उप वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/377.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	मोहगांव प. ह. नं. 2	0.336	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	घोघरा वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/378.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती हैं. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	बम्हनीडीह प. ह. नं. 15	0.489	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चाम्पा.	पोंड़ी शंकर माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/379.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	बेल्हाडीह प. ह. नं. 11	0.942	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	तांदुलडीह माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/380.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	नयाबाराद्वार प. ह. नं. 15	0.162	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	सकरेली डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/381.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	रिसदा प. ह. नं. 7	0.510	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	रिसदा सब माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/382.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	सरहर प. ह. नं. 16	0.602	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	रिसदा सब माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/383.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	नवागांव प. ह. नं. 7	1.081	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	रिसदा सब माइनर नं. 2 निर्माण. हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/384.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	रिसदा प. ह. नं. 7	0.882	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	रिसदा सब माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/385.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	बिछिया प. ह. नं. 3	1.292	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	आमापाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/386.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सदस्य में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	आमापाली प. ह. नं. 3	2.557	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	आमापाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/387.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	रैपुरा प. ह. नं. 2	0.089	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	लवसरा सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/388.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	जैजेपुर	रैपुरा प. ह. नं. 2	0.190	कार्यपालन यंत्री, मिनीमांता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	सिरली सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/389.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	झरना प. ह. नं. 7	0.194	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	सक्ती शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/390.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	चारपारा प. ह. नं. 15	0.364	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग. क्र. 2 चाम्पा.	बड़गड़ी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/391.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	बड़गड़ी प. ह. नं. 15	1.375	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चाम्पा.	बड़गड़ी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/392.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	मौहाडीह प. ह. नं. 7	1.621	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	मौहाडीह माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/393.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	झरना प. ह. नं. 7	0.110	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	मौहाडीह माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/394.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	मुरलीडीह प. ह. नं. 7	0.470	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	मौहाडीह माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/395.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	कुम्हारीकला प. ह. नं. 8	0.918	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	कुम्हारीकला माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/396.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	लछनपुर प. ह. नं. 8	2.166	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	लछनपुर माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/397.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	सरहर प. ह. नं. 16	1.336	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	सरहर सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/398.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	सकरेली प. ह. नं. 14	1.747	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	सकरेली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/399.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	सरवानी प. ह. नं. 14	0.109	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	सकरेली डि. व्यू. निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू- अर्जन/400.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	नयाबाराद्वार प. ह. नं. 15	0.101	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	सकरेली डि. व्यू. निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू- अर्जन/401.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	सरवानी प. ह. नं. 14	1.769	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	सरवानी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/402.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	सक्ती	नगरदा प. ह. नं. 3	0.663	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	चारपारा सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/403.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा.	मौहाडीह प. ह. नं.15	1.486	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चाम्पा.	भदरा सब माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/404.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	पोड़ीशंकर प. ह. नं. 16	6.240	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चाम्पा.	पोड़ीशंकर माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/405.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	सोनाईडीह प. ह. नं. 15	1.226	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चाम्पा.	बड़गड़ी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/406.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	अवराडीह प. ह. नं. 15	0.085	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चाम्पा.	मौहाडीह डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/407.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चाम्पा	बंसूला प. ह. नं.1 8	4.180	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चाम्पा.	बंसूला माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. जी. के. पिल्लई, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर (नजूल नवकरण) जिला दन्तेवाड़ा (छ. ग.)

दन्तेवाड़ा, दिनांक 22 नवम्बर 2001

क्रमांक 19/नजूल/रा.नि./2001.—राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1 के कण्डिका एक का पैरा तीन एवं पांच व खण्ड चार क्रमांक 2 के विविध ज्ञापन क्र. 5 में वर्णित अनुसार प्रदत्त अधिकारों के तहत दन्तेवाड़ा जिला के निम्नानुसार घोषित शहरी क्षेत्रों के आस पास के 5 मील के अन्दर की आबादी एवं काबिल-कास्त भूमि को नोईयत परिवर्तन कर नजूल घोषित किया जाता है.

अ.क्र.	नगर (शहर) का नाम	ग्राम का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	नजूल घोषित क्षेत्रफल हेक्टेयर में				कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में		रिमार्क
			आबादी		काबिल-कास्त				
			ख. नं.	रकबा	ख. नं.	रकबा	ख. नं.	रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	दंतेवाड़ा	1050.530	191	2.905	446	5.115			
	प. ह. नं. 13 "अ"		193	0.028	286	1.973			
			194	0.043	288	0.350			
			195	0.025	290	0.618			
			198	0.081	381	4.214			
			199	0.324	1	1.280			
			206	0.012	9	0.458			
			218/1	0.008	13	2.341			
			227	0.069	17	0.376			
			229	0.033	19/1	1.001			
			232/1	0.121	20	0.607			
			233	0.012	25	0.058			
			237/1 क	0.216	27	0.078			
			240	0.069	37	0.938			
			260/1	0.004	40/1	1.038			
			263	0.180	42	5.158			
			264	0.109	43/1	0.931			
			265	0.042	44	0.443			
			266	0.746	45	1.655			
			271	0.040	53	6.190			
			273/1	0.172	61	3.415			
			276	0.036	65	0.890			
			277/1	0.423	78	0.655			
			279	0.008	82	0.863			
			281	0.005	85	0.488			
			282	0.025	88	0.434			
			283	0.020	94	0.352			
			288	0.350	107/1	0.438			
			292	0.344	116	2.388			
			293	0.065	126	4.282			
			296/1	2.675	132	1.041			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			301	0.032	140	0.145			
			308	0.154	141	2.596			
			309	0.194	150/1	0.535			
			311/1	0.036	151/1	1.048			
			316	0.189	152	0.258			
			319	1.540	154/2	3.324			
			322/1	3.208	155	1.294			
			340	0.513	156	0.333			
			345	1.030	157	0.228			
			357	0.005	159	0.760			
			368	0.133	170	0.580			
			367	0.005	167	0.253			
			370	0.900	172	0.308			
			371	0.298	174	0.465			
			375	0.633	175/1	0.625			
			376	0.043	179	2.047			
			378	0.338	177	0.361			
			307/549	0.290	183	3.065			
			322/2	0.069	205	1.068			
			322/3	0.304	222	0.048			
			298	2.045	249	0.028			
			318/1 ग	0.040	257	5.087			
			318/3	0.823	284	4.223			
					291	2.695			
					317	0.809			
					325	5.665			
					354	0.474			
					359	0.169			
					384	1.083			
					391/1	1.055			
					394	2.568			
					398/1	0.992			
					399	0.790			
					400	0.209			
					401	0.451			
					402	1.390			
					407	1.333			
					408	1.023			
					410	1.643			
					417	0.623			
					419	2.120			
					421/1	1.413			
					430/1	0.628			
					439	2.816			
					468	0.431			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					469	1.190			
					475	2.115			
					477/1	4.047			
					479	2.331			
					487	2.782			
					510	4.476			
					511	2.743			
					517	1.981			
					519	1.413			
					520	0.138			
					522	0.195			
					525	0.398			
					530	0.143			
					533	0.243			
					534	0.395			
					535	0.235			
					315/539/1	0.489			
					74/547	1.283			
					533/544	0.202			
					58/548	1.011			
					499/550	2.023			
					418/551	5.261			
					372/552	0.174			
					409/553	3.358			
योग			55	22.032	100	147.722	155	169.754	
2.	ओवराभाटा प. ह. नं. 13 ''अ''	116.440	–	–	5	0.028			
					36	0.578			
					11/76	2.023			
					40	0.494			
					50	0.543			
					55	2.657			
					59	0.904			
					62	3.350			
					64	1.966			
					23	0.055			
					70/1	6.120			
					70/2	0.012			
					5/74	3.522			
					4/1	1.416			
					38	4.973			
योग					15	28.681	15	28.681	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	पातररास प. ह. नं. 13 "अ"	115.800	35	0.04	4	0.95			
			43	0.45	5	7.60			
			46	0.85	8	1.47			
					14	1.55			
					16	1.08			
					19	0.28			
					20	0.30			
					24	3.31			
					28	1.48			
					32	0.40			
					33	0.55			
					42	0.35			
					50	1.78			
					52	2.16			
					58	13.73			
					66	0.68			
					17	0.57			
योग		115.800	03	1.34	18	38.87	21	40.21	
4.	कतियाररास प. ह. नं. 14	197.070	47	0.79	11	0.03			
			102	0.45	14	0.49			
			158	0.12	21	0.38			
			211	0.01	86	0.85			
			218	0.02	88	0.26			
			219	0.04	91	0.10			
			224	0.04	94	0.39			
			251/1	1.01	205	0.20			
			252	0.60	248	0.05			
			259	1.16	239	0.64			
			271	3.99	270	0.27			
					187/1	0.97			
					192	0.13			
योग		197.070	11	8.23	13	4.76	24	12.99	
5.	गीदम प. ह. नं. 9	915.628	67	0.405	1	1.193			
			472	0.070	2	0.089			
			564	0.405	3	0.175			
			574	0.101	4	0.335			
			575	0.077	5	0.478			
			602	0.029	7	0.583			
			603	0.016	8	1.518			
			638	0.069	9	0.890			
			662	0.020	12	1.239			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			696	0.293	13	0.073			
			705	0.040	14	0.648			
			706	0.053					
			716	0.340	16	0.522			
			724	0.124	17	0.060			
			789	0:089	18	0.69			
			793	0.036	19	0.375			
			795	0.073	20	5.184			
			796	0.162	22	1.128			
			801	1.085	23	0.450			
			845	0.212	24	6.995			
			846	0.008	29	0.383			
			855	0.219	32	0.940			
			865	0.143	33	0.223			
			911	1.670	35	1.675			
			697	0.336	36	1.968			
			707	0.073	39	0.502			
					41	3.045			
					46	0.972			
					48	0.324			
					77	0.462			
					78	0.113			
					79	0.405			
					80	0.117			
					82	4.838			
					86	1.088			
					88	0.146			
					89	2.780			
					90	0.680			
					95	0.503			
					97	0.693			
					98	1.500			
					99	3.070			
					101	1.689			
					104	0.698			
					105	1.310			
					106	1.691			
					108	0.069			
					109	0.624			
					112	1.986			
					115	1.132			
					133	0.372			
					142	0.653			
					143	2.665			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					148	0.331			
					155	2.316			
					156	1.683			
					159	0.202			
					161	1.443			
					162	3.915			
					164	1.949			
					165	0.372			
					167	0.409			
					168	0.785			
					172	2.185			
					173	0.182			
					178	0.243			
					180	0.290			
					182	0.280			
					185	4.445			
					186	2.711			
					187	0.713			
					190	0.125			
					192	0.081			
					198	0.323			
					199	0.081			
					200	4.013			
					201	3.318			
					204	3.428			
					206	4.258			
					208	3.457			
					218	2.840			
					222	2.075			
					223	0.725			
					229	1.125			
					230	0.063			
					233	0.375			
					239	2.670			
					245	0.106			
					246	1.625			
					247	0.305			
					249	0.809			
					250	1.614			
					253	0.195			
					254	2.036			
					257	0.972			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					258	0.753			
					266	0.440			
					267	2.800			
					268	0.223			
					270	0.081			
					273	2.003			
					274	1.789			
					275	3.291			
					282	0.500			
					283	0.567			
					286	2.833			
					287	0.118			
					288	1.173			
					306	1.035			
					309	0.143			
					310	3.760			
					312	3.240			
					313	3.372			
					314	1.292			
					315	0.127			
					317	0.065			
					319	1.078			
					324	0.499			
					325	0.252			
					327	3.335			
					338	0.925			
					342	7.620			
					343	2.873			
					344	2.533			
					345	0.283			
					346	1.092			
					348/1	0.223			
					348/3	0.688			
					349/1	0.161			
					351	0.769			
					352	0.214			
					355/1	0.121			
					355/3	0.303			
					357	0.658			
					360	1.405			
					367	1.258			
					368	0.193			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					370	1.105			
					371	1.865			
					372	0.293			
					380	1.373			
					382	2.168			
					383	1.440			
					384	2.105			
					385	0.415			
					387	0.165			
					388	0.298			
					389	0.931			
					390	1.234			
					391	0.291			
					397	2.023			
					398	0.862			
					399	0.526			
					406	1.280			
					407	1.606			
					408	2.021			
					409	0.809			
					411	3.940			
					413	1.273			
					420	0.435			
					414	1.393			
					423	0.588			
					426	0.551			
					434	0.345			
					436	2.023			
					437	2.270			
					441	2.112			
					442	0.405			
					444	0.753			
					445	0.143			
					447	1.527			
					446	1.664			
					448	0.551			
					457	8.545			
					459	0.495			
					460	3.575			
					463	0.987			
					467	0.220			
					484	0.588			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					493	0.303			
					494	0.258			
					495	0.345			
					496	1.235			
					499	1.173			
					501	0.737			
					504	0.153			
					511	1.700			
					521	1.018			
					527	1.059			
					532	0.895			
					534	0.476			
					535	0.485			
					537	1.682			
					538	0.486			
					542	0.869			
					549	0.064			
					553	0.181			
					559	0.162			
					563	0.206			
					565	0.850			
					571	0.356			
					572/2	0.518			
					573	0.259			
					576	0.025			
					577	0.024			
					578	0.032			
					579	0.045			
					580	0.036			
					586	0.872			
					590	0.190			
					592	0.024			
					593	0.020			
					594	0.020			
					595	0.024			
					596	0.048			
					597	0.056			
					598	0.049			
					599	0.057			
					600	0.038			
					601	0.055			
					604	0.020			
					605	0.033			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					607	0.016			
					608	0.097			
					611	0.045			
					633	0.155			
					646	0.103			
					647	0.173			
					651	0.146			
					652	0.660			
					658	0.057			
					659	0.413			
					663	0.049			
					666	0.040			
					668	0.085			
					674	0.599			
					675	0.028			
					676	0.097			
					677	0.016			
					678	0.012			
					679	0.012			
					680	0.016			
					681	0.081			
					694	0.175			
					682	0.040			
					719	0.036			
					739	0.045			
					741	0.012			
					742	0.016			
					750	0.083			
					770	0.038			
					758	0.036			
					791	0.016			
					800	0.123			
					803	0.024			
					805	0.036			
					806	0.008			
					804	0.070			
					807	0.040			
					808	0.024			
					809	0.012			
					811	0.008			
					812	0.008			
					813	0.028			
					816	0.085			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					818	0.081			
					819	0.065			
					820	0.089			
					822	1.530			
					827	0.036			
					828	0.040			
					829	0.030			
					830	0.038			
					831	0.041			
					835	0.041			
					840	0.057			
					841	0.441			
					847	0.016			
					854	1.575			
					863	0.008			
					868	0.040			
					871	0.061			
					872	0.376			
					875	0.032			
					877	0.036			
					878	0.020			
					886	0.045			
					888	0.162			
					890	0.142			
					896	0.065			
					897	1.987			
					905	0.223			
					906	0.170			
					907	0.673			
					915	0.553			
					921	0.703			
					925	1.108			
					931	0.324			
					935	2.165			
					936	1.195			
					939	0.733			
					143/946	2.626			
					441/947	0.733			
					900/1	2.429			
					883/949	0.057			
					778/952	0.016			
योग		915.628	26	6.158	305	278.058	331	284.216	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.	हारम प. ह. नं. 8	1155.391	279	1.980	2	0.450			
			285	0.133	6	0.300			
			291	0.089	13	0.986			
			294	0.305	14	0.343			
			295	0.295	15	0.232			
			305	0.094	19	0.725			
			306	0.122	24	0.372			
			314	0.054	33	0.809			
			321	0.747	37	1.848			
			325	0.044	38	0.953			
			440	0.680	42	1.650			
			525	0.138	43	0.748			
			532	0.075	46	0.102			
			536	0.055	48	0.508			
			548	0.480	51	1.254			
					52	0.133			
					55	1.843			
					56	0.700			
					58	0.385			
					61	0.750			
					68	0.213			
					69	3.698			
					70	0.100			
					71	1.823			
					72	0.533			
					73	1.983			
					74	0.193			
					78	0.938			
					79	0.125			
					81	2.288			
					82	1.665			
					84	2.230			
					85	1.880			
					86	0.075			
					87	0.103			
					88	0.353			
					91	0.628			
					98	0.543			
					101	1.765			
					122	0.240			
					128	0.371			
					130	0.624			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					131	0.120			
					133	0.353			
					134	0.123			
					135	0.311			
					136	0.273			
					137	3.803			
					144	0.508			
					146	0.250			
					147	0.295			
					151	0.805			
					153	0.820			
					155	1.799			
					156	1.678			
					157	1.500			
					159	1.193			
					167	4.080			
					172	0.218			
					173	0.233			
					178	0.373			
					197	0.303			
					199	0.520			
					206	0.188			
					207	0.481			
					219	6.410			
					220	2.443			
					236	2.046			
					237	0.553			
					239	1.655			
					249	0.445			
					255	0.287			
					256	0.250			
					257	0.155			
					266	0.392			
					268	0.148			
					273	0.065			
					275	0.110			
					281	0.123			
					283	0.165			
					284	0.120			
					287	0.092			
					288	0.220			
					289	0.173			
					296	0.104			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					298	0.275			
					299	0.393			
					304	0.095			
					311	0.111			
					356	0.735			
					373	0.778			
					371	0.870			
					374	0.778			
					377	0.063			
					383	0.059			
					384	1.183			
					387	0.173			
					391	1.423			
					393	2.548			
					394	0.960			
					395	0.820			
					397	1.646			
					400	2.006			
					402	1.103			
					403	2.475			
					405	0.496			
					407	0.155			
					411	0.402			
					417	0.073			
					419	0.625			
					421	0.303			
					423	0.263			
					424	0.153			
					425	1.005			
					439	0.048			
					447	1.317			
					449	0.523			
					451	0.170			
					452	0.360			
					470	1.215			
					478	0.528			
					480	0.275			
					483	0.770			
					488	0.673			
					490	0.669			
					493	1.360			
					495	0.318			
					498	0.953			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					499	0.478			
					500	0.080			
					501	4.650			
					502	1.750			
					503	0.703			
					505	1.410			
					508	5.445			
					510	0.066			
					533	0.538			
					538	0.404			
					542	0.423			
					546	0.276			
					549	1.010			
					553	2.276			
					554	0.183			
					555	0.968			
					556	0.365			
					557	1.963			
					560	1.504			
					561	6.721			
					563	50.367			
					564	1.871			
					567	0.628			
					568	1.413			
					569	0.061			
					570	5.480			
					572	0.323			
					573	1.527			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					577	3.500			
					581	0.063			
					582	1.883			
					589	0.133			
					590	0.418			
					596	1.085			
					601	5.050			
					603	0.773			
					608	3.073			
					613	1.838			
					616	3.810			
					617	0.700			
					618	0.074			
					619	1.725			
					621	0.169			
					622	2.122			
					626	0.478			
					627	0.448			
					629	2.070			
					630	0.268			
					632	0.418			
					633	0.160			
					636	0.403			
					638	0.173			
					642	0.985			
					644	0.599			
					646	1.368			
					648	1.053			
					654	1.705			
					656	3.995			
					657	1.130			
					658	0.240			
					659	1.430			
					660	0.914			
					664	0.815			
					679	0.308			
					683	0.320			
					687	1.360			
					689	4.485			
					692	3.915			
					695	0.215			
					705	0.103			
					711	2.035			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					716	0.385			
					718	1.120			
					724	0.517			
					727	0.540			
					732	0.370			
					738	1.635			
					742	1.260			
					743	4.580			
					749	0.553			
					755	2.904			
					757	0.976			
					758	0.015			
					761	0.203			
					762	0.109			
					764	0.635			
					765	0.170			
					767	2.182			
					770	0.193			
					775	0.203			
					777	0.890			
					780	1.588			
					782	1.913			
					784	1.555			
					791	0.960			
					792	0.772			
					795	0.460			
					798	0.165			
					801	0.465			
					803	0.853			
					806	0.584			
					279/833	0.033			
					279/834	0.050			
					50/835	0.325			
					113/836	1.270			
योग		1155.391	15	5.291	233	236.340	248	241.631	
7.	भान्सी प. ह. नं. 17	667.851	15	0.097	22	0.243			
			29	0.032	64	0.227			
			35	0.183	77	0.430			
			63	0.089	66/1	0.809			
			73	0.065	66.2	0.202			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			76/1	0.178	90	0.081			
			83/3	2.023					
योग		667.851	07	2.667	06	1.992	13	4.659	
8.	बड़ेबचेली	1960.375	228	0.210	2	1.826			
	प. ह. नं. 18		377	0.250	14	9.466			
			425	0.525	15	0.676			
			436	0.251	25	1.784			
			437	0.615	26	0.470			
			443	0.478	27	0.245			
			447	0.280	36	5.310			
			481	0.084	41	1.903			
			493	0.915	53	0.366			
			622	0.068	57	0.143			
			679	0.090	59	0.356			
			687	0.311	71	2.166			
			701	0.283	74	4.265			
			710	0.773	83	1.776			
			714	0.405	86	1.730			
			717	0.081	89	1.780			
			725	0.093	108	0.926			
			737	1.463	111	2.759			
			766/2	1.704	133	4.532			
			837	0.375	136	1.293			
			862	0.650	139/2	1.025			
			959	0.188	151	1.898			
			1076	0.182	155	1.223			
			1078	0.293	161	5.035			
			1169	0.065	165	0.133			
			1172	0.132	176	3.644			
			1191	0.085	177	6.066			
			1194	0.255	178	1.775			
			1309	1.240	181	1.496			
					198	0.053			
					199	0.270			
					205	0.280			
					214/1	1.197			
					220	0.885			
					243	1.098			
					245	2.560			
					283	0.060			
					291/1	0.372			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					303	0.737			
					311	0.180			
					324	1.170			
					325	0.073			
					327	0.598			
					328	0.333			
					329	1.085			
					331	3.080			
					333	0.339			
					353	0.077			
					359	0.202			
					360	0.835			
					363	0.185			
					391	0.075			
					397	0.929			
					399	0.815			
					401	0.829			
					408	0.244			
					410	0.688			
					411	0.865			
					432	0.133			
					444	0.153			
					452	0.273			
					453	0.124			
					454	0.268			
					455	1.413			
					460	0.243			
					463	0.743			
					466	0.042			
					467	0.623			
					468	0.350			
					473	0.938			
					484	0.813			
					489	0.525			
					491	0.211			
					504	0.142			
					521	2.430			
					524	0.745			
					525	2.549			
					529	1.207			
					535	0.141			
					538	0.993			
					539	0.253			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					564	1.494			
					565	3.620			
					570	1.108			
					575	0.125			
					580	1.925			
					582	0.333			
					586	0.466			
					606	1.420			
					614	0.101			
					628	0.329			
					630	2.734			
					635	3.583			
					642	0.111			
					655	0.443			
					669/1	1.265			
					671	0.438			
					680	0.101			
					682	0.818			
					886	0.493			
					698	2.845			
					702	0.853			
					708	0.511			
					743	0.045			
					745	0.028			
					754	0.286			
					769	1.358			
					778/1	1.264			
					779	2.015			
					791/1	1.914			
					796/1	2.916			
					799	1.738			
					803	0.928			
					812	0.849			
					814	0.548			
					816	1.396			
					817	1.015			
					818	0.529			
					834	3.018			
					838	0.510			
					839	0.119			
					842	0.113			
					843	0.073			
					844	0.413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					846/1	0.770			
					849	0.303			
					851	0.353			
					852	0.036			
					854	0.120			
					865	0.109			
					872	0.089			
					884	0.168			
					885	0.840			
					886	0.614			
					899	3.710			
					902/1	3.309			
					903	0.645			
					905	0.230			
					907	0.004			
					908	0.510			
					910	0.498			
					964	0.069			
					977	0.193			
					988	0.590			
					991	0.277			
					995	0.877			
					996	1.306			
					1003	1.165			
					1023	1.078			
					1025	1.358			
					1026	0.230			
					1029	5.165			
					1030	0.724			
					1033	3.565			
					1034/1	0.318			
					1035	1.417			
					1048	3.333			
					1052	3.123			
					1057	0.432			
					1058	0.075			
					1062/1	2.882			
					1071/2	0.603			
					1075	0.144			
					1077	0.127			
					1080	3.755			
					1089	0.544			
					1091	0.165			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1092	0.855			
					1093	0.809			
					1097	0.825			
					1103	3.055			
					1006	2.895			
					1109	0.666			
					1121	0.208			
					1129	0.153			
					1136	0.555			
					1138	0.990			
					1142	2.880			
					1145	0.812			
					1151	0.903			
					1153	3.960			
					1156	0.879			
					1158	0.498			
					1161	0.300			
					1164	0.304			
					1174	0.415			
					1175	0.312			
					1176	0.431			
					1181	0.170			
					1182	0.463			
					1198	1.760			
					1201	0.493			
					1209	0.478			
					1226	1.900			
					1231	0.178			
					1233	0.772			
					1234/1	3.347			
					1237	1.705			
					1239	1.412			
					1253	2.215			
					1254	0.809			
					1256	0.395			
					1258	1.135			
					1259	0.989			
					1260	0.384			
					1265	0.145			
					1268	6.196			
					1269	6.735			
					1278	0.428			
					1316	0.240			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1324	4.125			
					1343	3.875			
					1348	0.338			
					1350	1.450			
					1362	1.994			
					1160/1370	2.610			
					113/1371	1.590			
					510/1373	1.902			
					17/1375	4.237			
					99/1376	0.942			
					101/1377	2.906			
योग		1160.375	29	11.673	221	275.761	250	287.434	
	बड़ेबचेली (बंगाली केम्प)	24.000	–	–	1388/1	0.283			
					1388/2	0.081			
					1388/3	1.003			
					1388/6	0.178			
					1388/7	0.065			
					1388/11	0.032			
					1188/12	0.101			
					1188/18	0.020			
					1188/21	0.028			
					1388/22	0.121			
					1388/23	0.769			
					1388/27	0.016			
					1388/28	0.020			
					1388/29 क	0.162			
					1388/32	0.344			
					1388/38	0.055			
					1388/42 क	0.527			
					1388/45	0.065			
					1388/53	0.073			
					1388/54	0.721			
					1388/55	0.004			
					1388/64	0.364			
					1388/65	0.146			
					1388/67 क	0.344			
					1388/70	0.482			
					1388/71	0.182			
					1388/76	0.004			
					1388/97	0.065			
					1388/99	0.065			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					1388/117	0.113			
					1388/122	0.065			
					1388/123	0.065			
					1388/131	0.065			
					1388/137	0.065			
					1388/139	0.065			
					1388/143	0.065			
					1388/152	0.324			
					1388/157	0.802			
					1389/1	0.020			
					1389/8	0.020			
					1389/9	0.020			
					1389/10	0.020			
					1389/11	0.020			
					1389/16	0.020			
					1389/17	0.170			
					1389/18	0.162			
					1389/20	0.048			
					1389/21	0.020			
					1389/22	0.020			
					1389/38	0.020			
					1389/40	0.020			
					1389/48 क	0.121			
					1389/49	0.049			
					1389/50	0.069			
योग	2	24.000			54	8.738	54	8.738	
महायोग	-	1984.375	29	11.673	275	284.499	304	296.172	
9.	बेनपाल प. ह. नं. 18	426.802	15	0.162	50	0.372			
			19	0.032	99	0.162			
			20	0.317					
			27	0.113					
			102/8	1.315					
योग		426.802	5	1.939	2	0.534	7	2.473	
10.	किरन्दुल प. ह. नं. 33	675.230	114	0.363	1/1	0.089			
			133	1.050	1/4	0.849			
			164	0.050	1/15	0.065			
			176	0.300	1/23 क	0.591			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			197	0.225	1/24 क	1.473			
			223/2	1.150	1/25	1.343			
					1/26	1.007			
					1/27	0.065			
					1/28	0.055			
					1/29	0.065			
					10	5.612	दण्डकारण्य प्रोजेक्ट		
					21	0.818			
					23	0.090			
					27	0.990			
					28/1	0.573			
					29/1	0.533			
					30/1	0.162			
					34/1	2.743			
					37	0.355			
					38/1	1.841			
					38/2	0.061			
					38/3	0.040			
					38/4	0.040			
					38/5	0.040			
					38/6	0.141			
					38/9	0.020			
					39	0.560			
					28/1	0.020			
					28/2	0.020			
					28/4	0.020			
					28/5	0.020			
					29/10	0.040			
					42	0.408			
					43/1	0.648			
					43/2	0.445			
					48/1	0.162			
					53	0.990			
					59	0.078			
					60/1	1.097			
					63	0.148			
					64	0.725			
					65/1	1.062			
					67	1.360			
					74/1	0.178			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					77/1	3.109			
					83/1	1.170			
					83/3	0.121			
					83/4	0.028			
					86	0.225			
					108	0.260			
					109	1.268			
					110	1.175			
					111	0.678			
					112	0.778			
					113	1.833			
					116	1.493			
					117/1	2.972			
					118	0.903			
					119	0.843			
					122	3.091			
					131	0.396			
					137	0.303			
					147	0.495			
					187	0.285			
					188/1	0.799			
					188/2	0.673			
					199	0.648			
					204	0.352			
					206	2.038			
					248	4.250			
					209	3.235			
					211	0.670			
					215/1	1.340			
					215/5	0.012			
					216	0.913			
					220/1	0.200			
					223/1	2.253			
					227	2.450			
					244	0.155			
					245	1.705			
					251	5.225			
					252	3.268			
					274	2.140			
					278	4.100			
					279	0.630			
					281	2.340			
					289	3.920			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					293	3.850			
					295	1.973			
					77/3	0.040			
					77/4	0.040			
					77/5	0.040			
					77/6	0.040			
					202/2	0.520			
					83	87.673	काबिलकास्त		
	किरन्दुल (बंगाली केम्प)				299/1	0.223			
					299/2	0.089			
					299/3	0.024			
					299/5	0.085			
					299/15	0.190			
					299/17	0.809			
					299/19	0.097			
					299/42	0.182			
					299/43	0.024			
					299/46	0.016			
					299/47	0.016			
					299/62	0.032			
					299/97/1 क	1.010			
					299/106	0.024			
					299/107	0.020			
					299/116 क	0.238			
					299/119	0.024			
					299/120	0.024			
					299/121	0.283			
					299/79	0.008			
					299/124/1	1.673			
					299/125/1	0.275			
					299/126	0.020			
					299/136	0.024			
					299/8	0.024			
					25	5.433			
महायोग		685.230	6	3.138	118	98.720	124	101.858	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11.	कोंडेनार प. ह. नं. 33	152.552	120/1	1.709	3	1.758			
			120/10	0.020	4	4.291			
			120/12	0.020	32	0.290			
			120/13	0.020	100	0.365			
			120/14	0.020	122/1	0.024			
			120/15	0.020	122/2	0.109			
			120/24	0.040	122/3	0.012			
			121/1	0.097	122/11	0.065			
			121/2	0.093	122/13	0.032			
			121/3	0.016	122/14	0.028			
			121/7	0.087	117/3	0.219			
					122/15	0.133			
					122/4	0.053			
					123/2	0.209			
					123/1	0.016			
योग		152.552	11	2.142	15	7.604	26	9.446	
महायोग		7467.669	168	64.610	1100	1127.780	1268	1192.390	

एम. एस. पैकरा,
कलेक्टर.